

## राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग


क्रमांक :- निस./2021/29

दिनांक: 24/05/2021

### :: कार्यालय आदेश ::

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार पूर्व जारी आदेश दिनांक 17-05-2021 के अनुसार दिनांक 24 मई, 2021 तक राज्य आयोग कार्यालय को बंद रखने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में गृह (गुप-7) विभाग, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन आदेश सं. प. 7(1)गृह-7/2021 दिनांक 23-05-2021 के तहत कोरोना महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉक डाउन घोषित होने के कारण दिनांक 08-06-2021 तक सभी अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी कार्यस्थल बंद रहेंगे।

उक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए राज्य मानव अधिकार आयोग कार्यालय को दिनांक 08-06-2021<sup>स्वयं तक</sup> तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में नये परिवारों की वर्चुअल सुनवाई पूर्व की भांति "वर्क फ्रॉम होम" के माध्यम से अनवरत जारी रहेगी।

  
( विश्राम मिश्रा )  
सचिव

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग,  
जयपुर।